फर्द अहकाम

कृष्णा बनाम सुनीता व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

13/2025 (प्रा.पत्र 0-9 R-13)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/1/25	प्रार्थी अधिवक्ता को बहस प्रा.पत्र 0-9 R-13 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र 0-9 R-13, प्रार्थी दिनांक 24/1/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
24/1/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र 0-9 R-13 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश। नियत दिनांक 3/2/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
3/2/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र O-9 R-13 के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा नियमानुसार व विधिक प्रावधानों की पालना के अन्तर्गत मूल प्रकरण का विधिवत अंतिम निस्तारण किया गया है। जिसके क्रम में अंतिम क्रियान्विती के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद भी किया जा चुका है। जिसके पश्चात अब अंतिम डिक्री के संदर्भ [illegible] आपत्ति बाबत निर्धारित अ[illegible] समयावधि भी [illegible] पश्चात प्रार्थनापत्र [illegible] 13 प्रस्तुत कि[illegible] दृष्टिगत स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। जबकि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:13:52 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कृष्णा बनाम सुनीता

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 13/2024 [प्रा.पत्र O-9 R-13]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/12/24	प्रतिवादी की प्रकरण में विधिवत उपस्थिति के क्रम में प्रार्थी को मूलवाद के अन्तर्गत उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा तथ्यों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति व खंडन प्रस्तुत करने हेतु अनेकानेक अवसर प्रदान किए गए। जिसके क्रम में जवाब / आपत्ति हेतु निर्धारित अधिकतम समयावधि (03 माह) पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी प्रार्थी / प्रतिवादी की ओर से वादपत्र का कोई समुचित / औपचारिक खंडन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रार्थी का जवाब अवसर बंद किया गया। तदोपरान्त प्रकरण को बहस प्राथमिक डिक्री हेतु नियत किया गया। जिसके अन्तर्गत भी लगभग 05 माह की अवधि तक प्रकरण के बहस प्राथमिक डिक्री हेतु नियत रहते प्रार्थी / प्रतिवादी की ओर से कोई अभिव्यक्ति / उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तथा नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी / प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए जाने उपरान्त प्रकरण में विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके बाबत भी निर्धारित अधिकतम समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई उज्र आपत्ति अथवा अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त क्रम में तहसीलदार आमेर की ओर से प्रार्थी को कुरेजात सूचनार्थ विधिवत नोटिस जारी कर [तामील अनुसार] सूचित किया गया, परन्तु प्रार्थी की ओर से विभाजन प्रस्ताव के संदर्भ में मौके पर उपस्थिति व कोई उज्र आपत्ति / अभिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके उपरान्त बाद प्राप्ति कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय हाजा के समक्ष भी 03 माह की अवधि तक कुरेजात रिपोर्ट पर बहस हेतु पत्रावली के नियत रहते समयावधि में कोई	

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

कृष्णा बनाम सुनीता

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 13/2024 [प्रा.पत्र O-9 R-13]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/12/24	उज्र आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके उपरान्त तथ्यों की गुणवत्ता अनुसार प्रकरण अंतिम डिक्री किया गया। जिसके अनुसरण में डिक्री की पालनार्थ राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो जाने के उपरान्त प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किया गया है। जो तथ्यों के दृष्टिगत स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। अतः चूंकि प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से वाद की प्रत्येक स्तर की भली भांति जानकारी उपरान्त भी वाद का किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में कोई मान्य / औपचारिक खंडन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंतिम क्रियान्विति पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जो अब इस स्तर पर पोषणीय प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:13:52 IST
Reason: SelfAttested